सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर रहे हड़ताल पर, कतारों और स्ट्रेचर पर कराहते रहे मरीज

सरकार ने एक हजार जूनियर रेजीडेंट भर्ती करने के निर्देश दिए

जयपुर,(कासं)। स्ट्रेचर पर लेटकर कराहते हुए मरीज और एक चिकित्सक के समक्ष लगी लंबी लाइन के बीच ही उसके इलाज की गुहार लगाते मरीज के परिजन, कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिला। प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ ही अब सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल के कारण राज्यभर में मेडिकल इमरजेंसी के हालात रहे। सरकारी सख्ती के बाद भी रेजीडेंट डॉक्टर्स व सरकारी चिकित्सक काम पर नहीं आए।

प्रदेश में राइट टू हैल्थ बिल के विरोध में सरकार और चिकित्सकों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। यहां चिकित्सक वर्ग मरीजों की पीड़ा के सहारे सरकार को झुकाने की कोशिश करने में जुटा हुआ है, वहीं सरकार किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने अब हड़ताली चिकित्सकों पर सख्ती का मानस बना लिया है। ऐसे में आज निजी चिकित्सकों के समर्थन में सरकारी डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के बाद पहली बार एक हजार जूनियर रेजीडेंट भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुधवार से इंटरव्यू लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस बीच पहले ही दिन जूनियर रेजीडेंट के लिए 486 आवेदन आए। आवेदन प्रक्रिया के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आर.टी.एच. बिल के विरोध में निजी अस्पतालों की हड़ताल के समर्थन में बुधवार को एस.एम.एस. अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी कार्य बहिष्कार किया। ऐसे में सूनी पड़ी एस.एम.एस. अस्पताल की धन्वन्तरि ओ.पी.डी.।

मरीजों को नहीं मिला इलाज

सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल के कारण मरीजों को आज सरकारी अस्पतालों में इलाज ही नहीं मिल पाया। वहीं प्राइवेट अस्पताल पहले से ही बंद है, ऐसे में पूरे दिन मरीज इलाज के लिए चिकित्सकों की राह ताकते नजर आए। हड़ताल के कारण सरकारी चिकित्सालयों की ओपीडी सेवा बंद रही। वहीं भर्ती मरीज नर्सिंग स्टाफ के भरोसे ही रहे। हालांकि अस्पतालों के प्रशासनिक पदों पर लगे चिकित्सकों ने इमरजेंसी का काम संभाला और गंभीर मरीजों को शुरूआती इलाज मुहैया करवाया।

नाकाफी रहे वैकल्पिक इंतजाम

चिकित्सकों की हड़ताल के कारण राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आई। पूरे राज्य में 15 हजार से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर, टीचर्स फैकल्टी और सुपर स्पेशलिस्ट ने बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी सर्विस का बहिष्कार किया। ओपीडी में मरीजों को कुछ चिकित्सकों ने देखा लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिल पाई। नतीजा यह हुआ कि अस्पताल में सुबह मरीज दिखाने के लिए पहुंचे लेकिन हड़ताल की जानकारी मिलने के बाद वे बिना इलाज करवाए ही वापस लौट गए। प्रशासनिक पदों पर लगे चिकित्सकों ने ही इमरजेंसी, आईसीयू और ओपीडी संभाली लेकिन मरीजों के दवाब के कारण यह व्यवस्था भी नाकाफी नजर आई। हालांकि एसएमएस में अलग-अलग ओपीडी में प्रशासनिक अधिकारी प्रिंसिपल, एडिशनल प्रिंसिपल, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन, मरीजों की भारी संख्या के चलते राहत नहीं मिल पाई। जयपुर के एसएसएस, जयपुरिया और कांवटिया सहित कई अस्पतालों की ओपीडी में नाममात्र के डॉक्टर दिखे। हालांकि डॉक्टर अस्पताल तो आये लेकिन अपनी हाजिरी लगाकर वापस चले गये।

प्रतिदिन होते थे 600 ऑपरेशन

प्राइवेट डॉक्टर्स के आंदोलन को रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के समर्थन से हालात बिगड़ गए हैं। एसएमएस अस्पताल में हड़ताल से पहले रोज करीब 600 ऑपरेशन रोजाना होते थे, इसमें 150 बड़े और 450 सामान्य व छोटे ऑपरेशन शामिल हैं। अब हालात यह है कि कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। आंकडों के अनुसार 27 मार्च को 30 बड़े और 179 माइनर ऑपरेशन हुए वहीं 25 मार्च को 58 बड़े और 285 माइनर ऑपरेशन हुए थे। आज हडताल के कारण कोई सर्जरी नहीं हो पाई।

प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी के सचिव डॉ. विजय कपूर ने बताया कि बुधवार को चिकित्सकों का राज्यव्यापी संपूर्ण मेडिकल बंद जारी रहा। सरकारी चिकित्सकों ने भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। हडताल कर रहे सरकारी चिकित्सकों ने जेएमए सभागार पहुँच कर आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया।

वार्ता से समाधान निकालें

अरिस्दा के अध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि चिकित्सकों और मरीजों दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए आरटीएच बिल या इसके जिन बिंदुओं पर चिकित्सकों को आपत्ति है, उन्हें सुन कर उनका नीति सम्मत निराकरण कर इस गतिरोध को खत्म किया जाए। साथ ही कुछ भ्रांतियां और असमंजस की स्थिति जो इस बिल को लेकर उत्पन्न हुई है उसको भी वार्ता करके दूर करावें। चौधरी ने चिकित्सकों से आग्रह किया कि हर समस्या का समाधान वार्ता की टेबल पर ही निकलता है। वार्ता के दौर को खत्म न करें। राइट टू हेल्थ बिल में या बिल के जिन भी बिंदुओ पर हमें आपत्ति है उन पर बिंदूवार अपनी बात और उनका समाधान सरकार के समक्ष वार्ता के दौरान रखें। उन पर आपसी विचार विमर्श करें ताकि बेहतर समाधान तक पहुँचा जा सके।

ठेले पर जूस और बिस्कुट बेचे

हड़ताल के दौरान चिकित्सकों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने ठेले लगाकर जूस, बिस्कुट और अन्य सामान बेचकर विरोध जताया। शाम को जेएमए हॉल में भजन संध्या आयोजित की गई जिसमें चिकित्सकों ने सरकार की सद्बुधि कीकामना कीं।

सरकार के निर्देश हवा

सरकारी चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को ही आदेश जारी कर सभी को बिना स्वीकृति अवकाश पर नहीं जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन चिकित्सकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कार्य बहिष्कार किया। सेवारत चिकित्सक यूनियन के अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी ने कहा कि हड़ताल रोकने के लिए सरकार ऐसे आदेश जारी करती है लेकिन चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर राइट टू हैल्थ बिल का विरोध किया है।

आयुष चिकित्सक देखेंगे मरीज

वहीं रेजीडेंट्स तथा वरिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल के बाद अब राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सकों को मरीजों के हित में आगे आने के लिए कहा है। चिकित्सा शिक्षा सचिव टी. रविकांत ने आयुष विभाग की शासन सचिव को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सीएमएचओ के पास जरूरत के अनुसार आयुष चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

- अरिस्दा के अध्यक्ष अजय चौधरी ने सरकार और प्राइवेट डॉक्टर्स से टेबिल पर वार्ता कर गतिरोध खत्म करने की अपील की

डॉ.अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दी

29 मार्च को डॉ अर्चना शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी आंदोलनकारियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी। आन्दोलनरत डॉक्टर्स ने ठेला रैली का आयोजन किया। शाम को डॉ अर्चना शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर भजन का आयोजन किया गया। उन्होंने ने बताया की अभी तक सरकार की ओर बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। आज से सभी निजी चिकित्सालय एक साथ सरकारी स्कीम्स को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

साथ ही व्हील चेयर एवं स्ट्रेचर रैली का आयोजन किया जायेगा। आज कुछ चिकित्सक आमरण अनशन की भी शुरुआत करेंगे। डॉ. कपूर ने सरकार को आगाह किया की यदि तुरंत प्रभाव से इस काले क़ानून को वापस नहीं लिया गया तो आक्रोशित चिकित्सक वर्ग को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा।

डॉक्टरों की हड़ताल के चलते एस.एम.एस. हॉस्पिटल की ओ.पी.डी. में डॉक्टरों के नहीं बैठने पर प्रिंसीपल राजीव बगरट्टा ने खुद हृदय रोगी देखे।

'आरोपियों का बरी होना सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है'

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जयपुर बम ब्लास्ट मामले पर बयान जारी कर कहा कि, 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुये, जिसमें 71 लोग मारे गये थे, कालांतर में दिसंबर 2019 में इन्हीं में से एक आरोपी को फांसी की और तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सब आरोपियों को बरी कर दिया है। इतने बड़े संज्ञेय अपराध में उन सबका बरी होना, यह राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है।

जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किये, कांट-छांटकर कर पेश किये और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि, पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आये, जांच का जो पक्ष है वह शंका पैदा करता है।

ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में राज्य सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही यह संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि यह भी कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है।

- भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों के बरी होने पर बयान जारी किया

'आमेर विकास मॉडल' प्रदेश में बना रहा पहचान

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प 'खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया' को आत्मसात करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं आमेर विधायक डॉ. सतीश पूनियां ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध करवाई है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने व अपने हुनर को तराशने में मदद मिलेगी।

सतीश पूनियां ने राजकीय विद्यालय आमेर, राजकीय बालिका विद्यालय आमेर, शांति शिक्षा निकेतन जाहोता तथा राजकीय विद्यालय नांगल सूसावतान में टेबल टेनिस की टेबल उपलब्ध करवाई है।

डॉ. पूनियां ने कहा कि मेरा सदैव प्रयास है कि आमेर विधानसभा क्षेत्र के युवा पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी आगे बढ़ें, नए प्रतिमान गढ़ें और भविष्य में भी खेलों के प्रति युवाओं को जागरुक करने के लिये हरसंभव प्रयास करेंगे।

उल्लेखनीय है कि आमेर विकास मॉडल के रूप में प्रदेशभर में अपनी पहचान बना रहा है, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सकडें इत्यादि बुनियादी विकास के साथ नवाचारों के साथ भी विकास कार्य मजबूती से हो रहे हैं।

प्रदेश में 42 नए संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को 42 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच 39 मरीजों के ठीक भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल 188 एक्टिव केस बचे हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 11 जिलों में 42 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को इनकी संख्या 20 रही थी। राज्य में आज सर्वाधिक सिरोही में 9 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर व जोधपुर में 8-8, जयपुर में 5, बीकानेर में 4, राजसमंद व सीकर में 2-2 तथा भीलवाड़ा, गंगानगर, नागौर और सवाई माधोपुर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

प्रवेश सूचना

बी.बी.एम.एस. एनीमल हजबेन्ड्री कॉलेज ए-10, नया रामगढ रोड, जयपुर-2 एनीमल हजबेन्ड्री डिप्लोमा प्रोगराम (ए.एच.डी.पी.) में मैनेजमेंट सीट पर प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण जीव विज्ञान/कृषि से प्रवेश के लिए आवेदन/संपर्क दिनांक 06.04.2023 तक कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें। फोन-9414248835

प्राचार्य
B.B.M.S.A & H Colege, Jaipur

राजस्थान सरकार
न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू जिला - जयपुर (राज.)
क्रमांक / भू.अ./ 2023 / 326 दिनांक 29/03/2023

|| विज्ञप्ति ||

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कोदर प.ह. अवानियां के खाता सं. 208 कुल किता 3 एवं 228 कुल किता 34 व बगरूरावान प.ह. अवानियां के खाता संख्या 160 कुल किता 2 में मृतक खातेदार सोहन पुत्र मंगलराम जाति जाट सा. ग्राम कोदर तह. सांगानेर का विरासत का नामान्तरण भू. राजस्व एक्ट की धारा 135 (2) में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति या सम्बन्धित को इस विरासत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि के सात दिवस के मियाद अन्दर इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जायेगा। उप तहसीलदार बगरू- जिला जयपुर

रवीन्द्र विद्या मंदिर शिक्षा समिति कालाडेरा पं.स. गोविन्दगढ, जयपुर

समस्त ग्राम जनता एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु रवीन्द्र विद्या मंदिर उ.मा. विद्यालय व रवीन्द्र एकेडमी कालाडेरा में कक्षा (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) 100 सीटों की 25 प्रतिशत सीटों पर नियमानुसार गरीबी रेखा से नीचे दुर्लभ वर्ग, असुविधाग्रस्त, अनुसूति जाति, अनुसूति जनजाति, पिछडे वर्ग को सत्र 2023-24 में प्रवेश दिया जाना है। अतः अधिक से अधिक संख्या में बालक बालिकाओं को प्रवेश दिलाकर अधिनियम का लाभ उठावें। नोट- प्रवेश प्रक्रिया की समस्त जानकारी राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के आरटीई ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.इन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
दूरभाष संख्या-0141-4901853

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 2451 दिनांक 04.07.2012 जारी कर आवास संख्या 9/761 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 18.480 वर्ग मीटर का प्रतिस्थापन श्रीमती हमीदा बानो पत्नी स्व. श्री चांद खां के नाम किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, चतुर्थ में दिनांक 08.10.2012 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती हमीदा बानो पत्नी स्व. श्री चांद खान के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री संदीप पारीक पुत्र श्री एस.पी. पारीक एवं श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव लाल सिंह को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 06.08.2015 को करवाया गया। उक्त दोनों क्रेताओं में से श्री रविन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 31.03.2022 को हो जाने के कारण (1) श्री संदीप पुत्र श्री एस.पी. पारीक (2) शिखा चौधरी पुत्री स्व. श्री रविन्द्र कुमार (3) ऋषि चौधरी पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार एवं (4) सीमा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, विक्रय पत्र की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता (1) श्री संदीप पुत्र श्री एस.पी. पारीक (2) शिखा चौधरी पुत्री स्व. श्री रविन्द्र कुमार (3) ऋषि चौधरी पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार एवं (4) सीमा देवी पत्नी स्व. श्री रविन्द्र कुमार के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-10004 दिनांक-17.03.2017

जाहिर आम सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 267/381 का आवंटन मूल आवंटी श्रीमती रामी देवी पत्नी श्री बन्शीमल को किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती प्रिया चांदवानी पत्नी श्री दिलीप कुमार चांदवानी द्वारा मण्डल में नियमितिकरण हेतु आवेदन पर दिनांक 22.06.2010 को नियमितिकरण पत्र जारी कर दिनांक 12.01.2011 को पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये थे जिनके पंजीयन दिनांक 24.01.2011 को सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम में पंजीयन अपने नाम करवाया गया। पंजीयन पश्चात पंजीकृत आवंटी द्वारा श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हेतराम स्वामी को दिनांक 18.03.2015 जरिये विक्रय पत्र आलेखित आवास/फ्लैट का विक्रय कर दिया गया। क्रेता/क्रेती श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हेतराम स्वामी द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त दुकान/भूखण्ड के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 15 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हेतराम स्वामी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

सेंट्रल पार्क में सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई?

दिन-रात जेसीबी मशीनों से जमीन समतल करने का काम जारी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर के हृदयस्थल 'सेंट्रल पार्क' में दिनदहाड़े हरे पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। यहां दिन-रात जेसीबी से जमीन समतल की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर लगे सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं और जेडीए के अफसरों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इस जमीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेडीए प्रशासन ने पूर्व राजपरिवार से खाली करवाकर सेंट्रल पार्क में शामिल किया था। इसके बाद जेडीए ने यहां पेड़ लगाए थे। इससे पहले यह जमीन चारों तरफ से सघन पेड़ों से घिरी हुई थी। इस अवैध कटाई की शिकायत सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी दी है।

बुधवार सवेरे जब कुछ मॉर्निंग वॉकर्स वहां घूमने गए तो उन्हें जेसीबी चलती नजर आई और पेड़ों के कटे हुए ठूंठ दिखे। लोगों के विरोध को बढ़ता देख जेसीबी चालक अपनी मशीन छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद दिन में फिर से जेसीबी चलने लगी। दिन दहाड़े अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई होती देखकर लोगों ने जेडीए के अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। इसके बाद सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक योगेश यादव ने इस सारे मामले की जानकारी मंत्री शांति धारीवाल को दी।

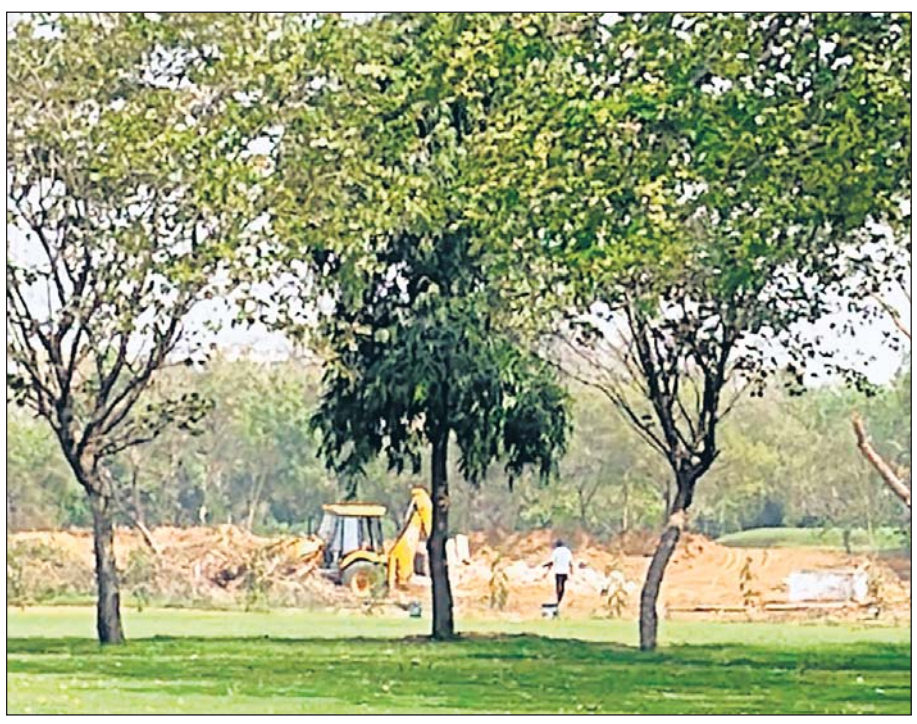

राजधानी जयपुर में स्टेच्यू सर्किल स्थित सेंट्रल पार्क में कुछ लोगों ने बुधवार को हरे पेड़ काट डाले।

- ताज्जुब यह है कि जेडीए के अफसरों को इसकी भनक नहीं हैं या फिर मूक सहमति दे रखी है?
- बुधवार सुबह कटे हुए पेड़ और उनके ठूंठ देखकर सेंट्रल पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने यूडीएच मंत्री धारीवाल को भी शिकायत दी
- ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेडीए प्रशासन ने पूर्व राजपरिवार से यह भूमि खाली करवाकर सेंट्रल पार्क में शामिल की थी

सूत्रों की मानें तो सेंट्रल पार्क की यह 11 बीघा जमीन लिली पूल का हिस्सा थी, जो भट्टारकजी की जैन नसियां के पीछे स्थित हैं। जेडीए ने इस जमीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया था। इसके बाद से यह जमीन सेंट्रल पार्क का हिस्सा बनी। होटल लक्ष्मी विलास के पीछे होने के कारण यहां लोगों का आवागमन कम रहता है। इस जमीन के चारों तरफ चारदीवारी बनी हुई थी। पहले इसे तोड़ा गया और इसके बाद यहां लगे सघन पेड़ काटे गए। यहां पर नीम, पीपल, वटवृक्ष समेत विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए थे। इन पेड़ों पर सैकड़ों पक्षियों जैसे चिडियां, बया, तोते, चील व कौवों ने अपना बसेरा बना रखा था, जिनमें इनके अंडे भी थे। कटाई में पक्षियों का बसेरा तक खत्म हो गया।

दरअसल सेंट्रल पार्क के बीचों बीच सैकड़ों पेड़ लगे होने के कारण यह पार्क का ऑक्सीजन जोन था, जो कि टोंक रोड से निकलने वाले सैकड़ों वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करता था। यहां लगे सैकड़ों हरे-भरे पेड़ों से पार्क में घूमने आने वाले लोगों भी प्राणवायु मिलती थी। साथ में इस पूरे इलाके में भी यह ऑक्सीजन जोन का काम करता था। सेंट्रल पार्क में पेड़ों की कटाई होने से यह आक्सीजन जोन लगभग खत्म हो गया है। इस मामले में जेडीए की जोन-1 की उपायुक्त अंजू वर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी होने से मना कर दिया। उन्हें जब बताया गया तो कहा कि जोन के संबंधित प्रवर्तन अधिकारी को मौके पर भेज कर वस्तुस्थिति दिखवाते हैं।

जवाब मांगा

जयपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने तथाकथित 'फर्नीचर घोटाला' मामले में एक्शन लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौपदार की शिकायत पर आयोग ने राजस्थान की मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती गणेशी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामस्वरूप गुर्जर, आयु 52 वर्ष, निवासी-जगतपुरा मैन मार्केट, सरकारी स्कूल के सामने, जगतपुरा, जयपुर की पुत्री कनन गुर्जर उर्फ विमलेश गुर्जर, आयु 23 वर्ष, मेरे कहने में नहीं है एवं बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते मेरा व अन्य पारिवारिक सदस्यों का परित्याग कर बिना कोई जानकारी दिये चली गयी है। जिसके चलते मैंने मेरी उक्त से अपने समस्त पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिये है तथा अपनी सम्पत्ति से बदेखल कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी उक्त पुत्री से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उत्पन्न होने वाले समस्त हर्जे खर्चे व परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सूचित रहे।
जयपुर (जितेन्द्र शर्मा) एडवोकेट
दिनांक 29.03.2023 मो. 9024443501

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम पूरण सिंह (Pooran Singh) से बदलकर गोविन्द सिंह (Govind Singh) रख लिया है, भविष्य में मुझे गोविन्द सिंह (Govind Singh) पुत्र श्री मान सिंह निवासी प्लॉट नं. 8, मार्ग नं. 12, कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर, राज. जाना जावे।

मैंने अपना नाम जोरावर सिंह (Jeorawar Singh) से बदलकर नरेन्द्र सिंह शेखावत (Narendra Singh Shekhawat) रख लिया है, भविष्य में मुझे नरेन्द्र सिंह शेखावत (Narendra Singh Shekhawat) पुत्र श्री मान सिंह निवासी प्लॉट नं. 8, मार्ग नं. 12, कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर, राज. जाना जावें।

मैंने अपने नाम की Spelling Rahiembaks से बदलकर Rahim Bux रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। अति. प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

I have changed my son's name Tanish to Tanish Vikas Sethi for all purpose. Vikas Sethi R/o 10B, Himmat vihar, KC Nagar, Keshopura, Bhankrota, Ajmer Road Jaipur

खोया पाया

मेरे प्लाट नं. आर 214-ए, करणी विहार, सालिग्रामपुरा, करधनी जेडीए स्कीम के पास, ग्राम मथुरावाला जयपुर (भैरव ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर) के मूल पट्टा साइट प्लान रसीद खो गये है मिलने पर सूचित करें-कैलाशचन्द सैनी पुत्र श्री सूरजकरण सैनी-9928222296

श्री विजय कुमार हर्ष एवं श्रीमती रजनी हर्ष, खसरा नम्बर 398/321 खाता संख्या नया 56 (पुराना 55), ग्राम रामनगरिया तह. सांगानेर, जयपुर का मूल 90-ए पत्र मामला संख्या 135, वर्ष 2014, दिनांक 18.06.2014 को जेडीए द्वारा जारी, दिनांक 26.03.2023 को गुम हो गया मिलने पर सूचित करें।-7073022250

मेरे आवास संख्या 82/70 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र क्रमांक 11581 दिनांक 23.02.2011 कहीं खो गया हैं। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो. 9214829625

My Sale deed documents Serial no. 2015397009838 Registered dated 04.05.15 in tha name of Mrs. Garima Sharma and Nikhil Gupta address- C101, Mahima Nirvana, Ajmer Road, Mahapura Jaipur 302026 has been lost, if someone found pls inform mobile 8447611096

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
क्रमांक-DHC-II/3265 दिनांक 20/03/2023
Email Id:dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No.0141-2782772

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एस-9 सेक्टर-10 मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 15.75 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री अभय कुमार मिश्रा पुत्र श्री अर्जुन मिश्रा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 647 दिनांक 06.08.2007 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिनांक 20.11.2007 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1348 दिनांक 29.01.2010 के द्वारा श्री अभय कुमार मिश्रा पुत्र श्री अर्जुन मिश्रा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 18.02.2010 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री अभय कुमार मिश्रा की मृत्यु दिनांक 18.11.2020 को हो जाने के कारण इनकी माताजी श्रीमती चन्द्रावति मिश्रा पत्नी श्री अर्जुन मिश्रा ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।

अतः उक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती चन्द्रावति मिश्रा पत्नी श्री अर्जुन मिश्रा के पक्ष में उक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 13/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री विष्णु दत्त शर्मा, अध्यक्ष, प्रन्यास श्री दाधीच समाज सेवा समिति ट्रस्ट, जयपुर 82, गायत्री नगर-ए, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 80 जयपुर 2022 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत न्यास की बैठक दिनांक 24.07.2022 को प्रस्ताव पारित कर प्रन्यास के विलेख में संशोधन कर किये गये संशोधनों/परिवर्तनों को दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प